माननीय न्यायाधीश परमोद कोहली के समक्ष

डॉ. भीमराव अंबेडकर शिक्षा संस्था (पंजीकृत), खेड़ी मारकंडा, कुरुक्षेत्र, इसके अध्यक्ष के द्वारा

याचिकाकर्ता

बनाम

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
तथा अन्य, — उत्तरदाता गण

C.W.P. 2009 की संख्या 10761
और अन्य जुड़ी हुई याचिकाएँ

7 अक्टूबर, 2009

भारत का संविधान, ***1950*** — अनुच्छेद ***226*** — उच्च न्यायालय ने कॉलेजों को प्रवेश देने और प्रवेशित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को सौंपने का निर्देश दिया-उच्च न्यायालय ने प्रवेश के लिए कट-ऑफ तिथि तय की-कॉलेजों को उस कट-ऑफ तिथि तक सूची जमा करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया---कोई आरोप नहीं कट-ऑफ तिथि के बाद प्रवेश देने वाले कॉलेजों के खिलाफ कट-ऑफ तिथि तक सूची दाखिल न करने को छोड़कर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित या किसी अन्य निर्देश का उल्लंघन किया गया - उच्च न्यायालय के आदेश की पूरी तरह से गलत व्याख्या, गलतफहमी और गलतफहमी के आधार पर कॉलेजों को असंबद्ध करने और उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के आदेश और कानून में टिकाऊ नहीं - याचिकाओं की अनुमति दी गई, विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिए गए।

अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं-कॉलेजों को 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश करने और प्रवेशित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को सौंपने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं-कॉलेजों के लिए भी उसी तारीख तक सूचियां जमा करना अनिवार्य बनाने की दिशा में कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय का एकमात्र आदेश 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश करना और उसके बाद सूची प्रस्तुत करना था। इस प्रकार, आदेश 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश करने का है। आदेश का पहला भाग केवल 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश करने और एक सूची जमा करने का निर्देश देता है। डिवीजन बेंच के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 5 दिसंबर, 2008 तक सूचियां जमा करने का सुझाव दे सके जो अन्यथा व्यावहारिक भी नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है। आदेश का असली मकसद और आदेश 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश देना था, उसके बाद किसी भी स्थिति में नहीं।

(पारा 11 और 12)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि *5* दिसंबर, *2008* तक सूचियाँ दाखिल न करने के अलावा, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि किसी भी याचिकाकर्ता-कॉलेज ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तारीख से परे प्रवेश किया है या किसी डिवीजन द्वारा दिए गए किसी अन्य

निर्देश का उल्लंघन किया है। इस न्यायालय की खंडपीठ. इस प्रकार, इन सभी रिट याचिकाओं में दिए गए आदेश कानून में टिकाऊ नहीं हैं और पूरी तरह से गलत धारणा, गलत धारणा और न्यायालय के आदेश की गलतफहमी पर आधारित हैं। वही रद्द किये जाने योग्य हैं।

(पैरा 13)

आर.के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, साजन मलिक, एडवोकेट के साथ, गिरिश अग्निहोत्री, सीनियर एडवोकेट, विजय पाल, एडवोकेट के साथ,

अश्वानी कुमार चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष चोपड़ा के साथ, अधिवक्ता

परविंद्रा सिंह, रेन चंदर, वी.के. जिंदल, एन.डी. कालरा, हेमंत सरीन,.अलका सरीन, अक्षय भान, आर.एस. चहल और जगबीर मलिक, याचिकाकर्ताओं के लिए वकील.

एस.एस. गोरिपुरिया, डीएजी; हरियाणा, हरियाणा राज्य के लिए. ए . स. विर्क, एडवोकेट, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए.

डॉ. बालम गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनमिका नेगी, एडवोकेट के साथ एम.डी. विश्वविद्यालय, के लिए

विनोद एस. भारद्वाज, एडवोकेट एन . सी.टी.ई. के लिए

परमोद कोहली, न्यायाधीश

(1) ये सभी याचिकाएं सत्र 2008-2009 के लिए याचिकाकर्ताओं को असंबद्ध करने और उन्हें बी.एड. में प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ निर्देशित हैं। (नियमित) उपरोक्त सत्र के लिए पाठ्यक्रम। सभी विवादित आदेशों में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए एक सामान्य आधार शामिल है। इस प्रकार, इन सभी रिट याचिकाओं का निपटारा इस सामान्य निर्णय के साथ किया जा रहा है।

(2) याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित समितियों/ट्रस्टों द्वारा संचालित संस्थान हैं। सभी संस्थान एनसीटीई द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हैं और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र से संबद्ध थे। शैक्षणिक सत्र 2008-2009 के लिए, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय ने इन संस्थानों में उनकी संबंधित प्रवेश क्षमता के विरुद्ध प्रवेश देने के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और काउंसलिंग आयोजित करने के बाद, छात्रों को याचिकाकर्ताओं सहित विभिन्न संस्थानों में आवंटित किया गया था। हालाँकि, कई सीटें खाली रह गईं, जिससे लगता है कि हरियाणा के एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन कॉलेज (सेल्फ फाइनेंसिंग) ने 2008 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17284 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस रिट याचिका का निपटारा डिवीजन बेंच द्वारा किया गया था। इस न्यायालय ने, दिनांक 21 नवंबर, 2008 के आदेश द्वारा, जिसमें कई निर्देश जारी किए गए थे। हालाँकि, इन मामलों में शामिल विवाद के निर्णय के उद्देश्य से, निर्देश संख्या III प्रासंगिक है, जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करेगा और अपने द्वारा प्रवेशित उम्मीदवारों की एक सूची संबंधित विश्वविद्यालय को 5 दिसंबर, 2008 तक जमा करेगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि संस्थान 5 दिसंबर, 2008 के बाद किसी भी उम्मीदवार को शैक्षणिक सत्र 2008-2009 में प्रवेश नहीं देंगे। इन निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित विश्वविद्यालय और एनसीटीई मान्यता वापस लेने और दोषी कॉलेज/कॉलेजों की संबद्धता रद्द करने की कार्यवाही शुरू करेंगे।"

(3) यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्धारित अवधि के भीतर शैक्षणिक सत्र 2008-2009 के लिए प्रवेश दिए और किए गए प्रवेशों की सूची भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को सौंप दी। हालाँकि, पार्टियों की यह स्वीकारोक्ति है कि सूचियाँ प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को 8 दिसंबर, 2008 से प्राप्त हुई थीं। विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देश की व्याख्या की और पाया कि 5 दिसंबर, 2008 के बाद दाखिल किए गए प्रवेश की सूचियाँ प्रस्तुत की गईं, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया है और याचिकाकर्ता असंबद्धता की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को पत्र दिए गए। ऐसे पत्रों में से एक दिनांक 24 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-1) है जो वर्तमान याचिका (2009 का सीडब्ल्यूपी संख्या 10761) में याचिकाकर्ता को जारी किया गया था। पत्रों की सामग्री इस प्रकार है:-

"21 नवंबर, 2008 को दिए गए पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप, 2008 के सीडब्ल्यूपी संख्या 17284 में बी. एड. पाठ्यक्रम (नियमित) में प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत की जानी थी या निश्चित रूप से 5 दिसंबर, 2008 से पहले, लेकिन आप उक्त नियत तारीख तक इसे जमा करने में विफल रहे।

इसलिए, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त न्यायालय के निर्देशानुसार प्रवेशित छात्रों की सूची समय पर जमा न करने का कारण बताएं। आपका उत्तर इस पत्र के जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है।"

(4) याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त पत्रों का उत्तर दिया और अनुरोध किया कि प्रवेश 5 दिसंबर, 2008 तक कर दिए गए थे। कुछ याचिकाओं में, यह अनुरोध किया गया है कि संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सूची प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से संपर्क किया था। प्रवेश हुए, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें अगले कार्य दिवस पर सूची लाने के लिए कहा और इस प्रकार, सूचियाँ 8 दिसंबर, 2008 को प्रस्तुत की गईं। कुछ याचिकाओं में यह अनुरोध किया गया है कि सूचियाँ डाक के माध्यम से भेजी गई थीं और इस प्रकार, वे कुछ दिनों के बाद प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को प्राप्त हुईं। यह भी अनुरोध किया गया है कि 5 दिसंबर, 2008 को शुक्रवार था और 6 और 7 दिसंबर, 2008 को प्रतिवादी-विश्वविद्यालय में छुट्टियां थीं, सूचियां केवल 8 दिसंबर, 2008 को प्रस्तुत की जा सकती थीं।

(5) उत्तर प्राप्त होने के बाद भी, विश्वविद्यालय ने एक उप-समिति का गठन किया और उक्त उप-समिति ने अपनी सिफारिशें कीं जिन पर विश्वविद्यालय ने विचार किया। विश्वविद्यालय की राय है कि याचिकाकर्ताओं के लिए 5 दिसंबर, 2008 तक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य

था और कट-ऑफ तिथि से बाद में ऐसा किया गया, याचिकाकर्ताओं की कार्रवाई इस न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन है।

(6) इन सभी रिट याचिकाओं में दिए गए आदेश समान पंक्तियों पर हैं। इस रिट याचिका के साथ संलग्न दिनांक 16 जुलाई, 2009 के आक्षेपित आदेशों में से एक (अनुलग्नक पी-8) यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"को।

अध्यक्ष/प्रिंसिपल, महाबीर कन्या महाविद्यालय गांव खेड़ी मारखंडा, बस स्टैंड के पास, जिला कुरूक्षेत्र।

विषय: महाबीर कन्या महाविद्यालय गांव खेड़ी मारखंडा, बस स्टैंड के पास, जिला कुरूक्षेत्र, कुरूक्षेत्र की मान्यता रद्द करना।
सर/मैडम,

यह इस कार्यालय के पत्र संख्या सीजी-VI/09/77467 दिनांक 19 जून, 2009 के तहत आपको दिए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में आपके दिनांक 26 जून, 2009 के अभ्यावेदन के संदर्भ में है।

इस संबंध में, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि संदर्भ के तहत आपके अभ्यावेदन पर कार्यकारी परिषद द्वारा गठित उप-समिति द्वारा विचार किया गया है, संकल्प संख्या 66 दिनांक 12 जून, 2009 के तहत। उप समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, आपके कॉलेज को दिनांक 01.10.19 से असंबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। सत्र 2009-10 में बीएड (नियमित) पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची जमा नहीं करने पर।
सत्र 2008-09 के लिए निर्धारित तिथि 5 दिसंबर, 2008 तक, जिससे 2008 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17284 में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हुआ। इसलिए, आपके कॉलेज को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है। और बी.एड में प्रवेश ले रहे हैं। (नियमित) पाठ्यक्रम सत्र 2009-10 के लिए।

भवदीय, (एसडी)। . ., कॉलेजों के डीन"।

(7) आक्षेपित आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि असंबद्धता का एकमात्र आधार 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत न करना है।
(8) विश्वविद्यालय ने अपने विस्तृत उत्तर में भी विवादित आदेश में अपनाए गए रुख को दोहराया। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि यानी 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत करने में विफल रहे, विश्वविद्यालय ने तीन सदस्यीय उप-समिति का गठन किया जिसमें (i) कॉलेजों के डीन शामिल थे ; (ii) डॉ. वी.के. गुप्ता, प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कुरूक्षेत्र और (iii) प्रो. जे.आर. धीर, शिक्षा विभाग, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र। समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और दोषी कॉलेजों के खिलाफ असंबद्धता की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की। उप-समिति की रिपोर्ट के आधार पर, विश्वविद्यालय

ने सभी रिट याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने कारण बताओ नोटिस पर अपने-अपने जवाब दाखिल किये। हालाँकि, इस पर विचार करने पर, ऊपर देखा गया आक्षेपित आदेश विश्वविद्यालय द्वारा पारित कर दिया गया है।

(9) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।
(10) असंबद्धता का एकमात्र आधार 21 नवंबर, 2008 के न्यायालय के आदेश का कथित उल्लंघन है, जो इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने 2008 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17284 में पारित किया था। यह प्रतिवादी-विश्वविद्यालय का मामला है कि याचिकाकर्ता थे शैक्षणिक सत्र 2008-2009 के लिए 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश करना आवश्यक है और उसी दिन प्रवेशित छात्रों की सूची भी जमा करनी होगी।
(11) मैंने इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिशा-निर्देश संख्या III का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। उपरोक्त निर्देश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं-कॉलेजों को 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश करने और प्रवेशित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं-कॉलेजों के लिए भी उसी तारीख तक सूची जमा करना अनिवार्य करने की दिशा में कुछ नहीं है। इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय का एकमात्र आदेश 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश करना और उसके बाद सूची प्रस्तुत करना था। यह आशय इस न्यायालय के आदेश की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है:- "

.....हम यह स्पष्ट करते हैं कि संस्थान शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए 5 दिसंबर, 2008 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं देंगे।"

(12) इस प्रकार, आदेश 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश करने का है। आदेश का पहला भाग केवल 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश करने और एक सूची प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। डिवीजन बेंच के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 5 दिसंबर, 2008 तक सूचियां जमा करने का सुझाव दे सके, जो अन्यथा व्यावहारिक भी नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है। आदेश की सच्ची भावना और अधिदेश 5 दिसंबर, 2008 तक प्रवेश देना था, उसके बाद किसी भी स्थिति में नहीं।

(13) 5 दिसंबर, 2008 तक सूचियां दाखिल न करने के अलावा, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि किसी भी याचिकाकर्ता-कॉलेज ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि से परे प्रवेश किया है या डिवीजन बीच द्वारा दिए गए किसी अन्य निर्देश का उल्लंघन किया है। यह न्यायालय. इस प्रकार, मेरी सुविचारित राय है कि इन सभी रिट याचिकाओं में दिए गए आदेश कानून में मान्य नहीं हैं और पूरी तरह से गलत धारणा, गलतफहमी और न्यायालय के आदेश की गलत अवधारणा पर आधारित हैं और रद्द किये जाने योग्य हैं। मैं तदनुसार आदेश करता हूं।

(14) विभिन्न याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों के माध्यम से, आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं ने प्रवेश ले लिया है और छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं-कॉलेजों द्वारा किए गए प्रवेश नियमित और पुष्टि किए जाएंगे।

(15) ये सभी रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।

(16) इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक संबंधित पत्रावली के रिकॉर्ड पर रखी जाएगी

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाड़ी हरियाणा